राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–7)
(Email:- pdfa.rdd@rajasthan.gov.in)

विषयः— ग्राम पंचायतों में सामग्री खरीद टेण्डरों को 30 जून 2024 या नये टेण्डर होने तक बढ़ाने बाबत्।

संदर्भः— आपकी अ.शा.टीप क्रमांक 01001 दिनांक 02.05.2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित अ.शा.टीप. के क्रम में लेख है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 29(2झ) में दर संविदा को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रावधान हैः—

(झ) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नयी दर संविदाएं बिना किसी विलम्ब के विद्यमान दर संविदाओं की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् प्रभावी हो जाये। यदि अपरिहार्य कारणों से नयी दर संविदाओं का तय किया जाना संभव नहीं हो तो विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत, निबंधनों और शर्तों पर तीन मास से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी। ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दर संविदा के अधीन उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषय वस्तु या उसके घटकों की बाजार कीमतें इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हों।

उक्त नियम के अनुसार दर संविदा की कालावधि सामान्यतः एक वर्ष, बजट व्यवस्था और करों के उद्ग्रहण के अनुरूप होने के लिए अधिमानतः एक वित्तीय वर्ष होगी। यह और कम कालावधि की हो सकेगी यदि बाजार कीमतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की प्रत्याशा हो। परन्तु अपरिहार्य कारण होने पर अनुबन्ध की अवधि उक्त नियमों के नियम 29(2झ) के अनुसार उपापन संस्था अपने स्तर से निर्णय लेकर 3 माह तक बढ़ा सकती है।

चूंकि उक्त कार्यवाही स्वयं उपापन संस्था द्वारा की जानी है। उक्तानुसार आदर्श आचार संहिता पर मैनुअल के उपबन्धों की पालना सुनिश्चित करते हुए, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 29(2झ) के अनुसरण में वर्तमान दर संविदा अनुबन्ध को तीन माह तक बढ़ाया जा सकता है, प्रकरण के संबंध में सक्षम स्तर से पत्रावली पर आदेश प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही करें।

(श्रीनिवास मीना)
वित्तीय सलाहकार, ग्राविवि

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण विकास।

अ.शा.टीप क्रमांकः प.13(1)(3)/ग्राविवि/ग्रुप–7/2022-23 / 1492-6
RajKaj Ref
7073725

जयपुर, दिनांकः 09.05.2024

Document certified by SHRINIWAS MEENA <PDFA.RDD@RAJASTHAN.GOV.IN>.
Digitally Signed by SRINIWAS MEENA
Designation :Financial Advisor
Date :09-05-2024 12:56:43

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(36) ग्राविवि/ग्रुप–5/जीकेएन/बीएसआर /2021–22 जयपुर,दिनांक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त,
राजस्थान।

विषयः– ग्राम पंचायतों में सामग्री खरीद टेण्डरों को 30 जून 2024 या नये टेण्डर होने तक बढाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– सरपंच संघ राजस्थान के पत्र दिनांक 30.04.2024।

प्रसंगः– वित्तीय सलाहकार, ग्राविवि से प्राप्त अ.शा.टीप दिनांक 09.05.2024।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सरपंच संघ राजस्थान से प्राप्त पत्र के कम में वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त अ.शा.टीप (संलग्न) द्वारा दिये गये मार्गदर्शन/राय अनुसार आदर्श आचार सहिता पर मैनुअल के उपबन्धों की पालना सुनिश्चित करते हुए, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 29(2झ) के अनुसरण में वर्तमान दर संविदा अनुबंध को तीन माह तक बढाये जाने के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(के के शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्राविं)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. वित्तीय सलाहकार, ग्राविवि।
4. जिला कलक्टर, जिला समस्त राजस्थान।

RajKaj Ref
7090780

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kishor Sharma
Designation : Superintending Engineer
Date: 2024.05.15 15:04:01 IST
Reason: Approved

W:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intra...\7090780-208436261...0507488.docx

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner